

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- अर्पिता शर्मा RAS

उनवान

नाम श्री. व. व. वि. शर्मा बनाम श्री. शशी कान्त शर्मा
 दावा बाबत नं० 56 भागा कुल 2 कुस लका पका वि० श्री. शशी कान्त शर्मा कुल 3 कुस

मुकदमा नम्बर :- 112/17 मुकदमे का प्रकार :-

निर्णय दिनांक :- 28/5/18

वादी की ओर से श्री. व. व. वि. शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से श्री. शशी कान्त शर्मा
 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28/5/18 को अर्पिता शर्मा RAS (नाम पीठासीन अधिकारी)
 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

मुलाक़े तयार पीपलू से प्राप्त तहसील के सिविल सुधार पत्रकारों के
अर्जों को अगिले डिक्री करने का निर्देश किया। इसमें प्रस्तुत तहसील
सिमेंट एवं पत्रकारों का भुगतान किया, इस तथ्य के आधार पर
तहसील के सिविल सुधार अगिले डिक्री किया जाता है
तहसील के सिविल सुधार का भुगतान करा जाएगा। तहसील

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।
 यह आज तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अर्पिता शर्मा)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी पीपलू
 जिला टोंक (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शांति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

(अर्पिता शर्मा)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 पीपलू जिला टोंक (राज.)

